न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2026

नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता नामदेव हाउस, प्लाट नम्बर 21, नीर सागर ए, भांकरोटा, जयपुर जरिये ऑथोराईज्ड ऑफीसर मंगल चन्द यादव

—— प्रार्थी

बनाम

1. श्री नरेश कुमार पुत्र श्री पाली राम, पता (1) मनोहरपुरा धुलवा, झुंझुनूं (2) ग्राम बलौदा, तहसील सूरजगढ, झुंझुनूं।
2. श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री लेखराम, पता (1) वार्ड नं0 13, मनोहरपुरा धुलवा, झुंझुनूं।
3. श्री शैलेष पुत्र श्री नरेश कुमार, पता (1) वार्ड नं0 13, मनोहरपुरा धुलवा, झुंझुनूं।
4. श्री मिंटू केयर ऑफ शैलेष, पता वार्ड नं0 13, मनोहरपुरा धुलवा, झुंझुनूं।
5. श्री रोहित एहलावत पुत्र श्री कुलदीप, पता मनोहरपुरा, झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन एक्ट 2002 बाबत सम्पत्ति स्थित खसरा नम्बर 720/425, ग्राम बलौदा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, कुल क्षेत्रफल 990 वर्ग मीटर जिसके उत्तर मे राम सिंह का मकान, दक्षिण मे राम सिंह की खुली भूमि, पूर्व मे राम सिंह की खुली भूमि व पश्चिम मे सीसी रोड है पर स्थित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाये जाने हेतु।

——

उपस्थितः–
एडवोकेट श्री कंचन सिंह चौधरी– प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 12.03.2026

प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण अनुबन्ध संख्या 136301 से कुल 38,68,659/– रूपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी। उक्त ऋण को प्राप्त करने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी सम्पत्ति खसरा नम्बर 720/425, ग्राम बलौदा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, कुल क्षेत्रफल 990 वर्ग मीटर जिसके उत्तर मे राम सिंह का मकान, दक्षिण मे राम सिंह की खुली भूमि, पूर्व मे राम सिंह की खुली भूमि व पश्चिम मे सीसी रोड है पर स्थित को मोरगेज किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वित्तीय सुविधा का ऋण अनुबन्ध पत्र मे वर्णित शर्तो के अनुसार भुगतान नही किया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी किश्तों का नियमानुसार भुगतान नही करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खाते को दिनांक 03.10.2025 को विधिनुसार एनपीए घोषित कर दिया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त खाते को एनपीए घोषित करने के उपरान्त विधिनुसार अप्रार्थीगण को सिक्योरिटाइजेशन एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांकित 23.10.2025 को प्रेषित कर अप्रार्थीगण से दिनांक 03.10.2025 तक कुल बकाया राशि 62,26,069/– रूपये व भुगतान की तिथि तक की अतिरिक्त बकाया राशि मय ब्याज के मांग की गई। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण पर तामिल हो गये। इस प्रकार अप्रार्थीगण को उक्त नोटिस की तामिल हो गई। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस के विरूद्व कोई आपत्ति नही ली गई तथा ना ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के अनुसार समस्त कार्यवाही विधिनुसार की गई है तथा उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया है इसलिए प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 720/425, ग्राम बलौदा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, कुल क्षेत्रफल 990 वर्ग मीटर जिसके उत्तर मे राम सिंह का मकान, दक्षिण मे राम सिंह की खुली भूमि, पूर्व मे राम सिंह की खुली भूमि व पश्चिम मे सीसी रोड है का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ताकि प्रार्थी कम्पनी उक्त सम्पत्ति को विधिनुसार नीलाम करके अपनी ऋण राशि को वसूल कर सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तत कर माननीय न्यायालय से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा अपने अधीनस्थ अधिकारी अथवा कमिश्नर को नियुक्त किया जकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नम्बर 720/425, ग्राम बलौदा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, कुल क्षेत्रफल 990 वर्ग मीटर जिसके उत्तर मे राम सिंह का मकान, दक्षिण मे राम सिंह की खुली भूमि, पूर्व मे राम सिंह की खुली भूमि व पश्चिम मे सीसी रोड है

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

का भौतिक कब्जा प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी के ऑथराईज्ड आफिसर को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान पारित करने की कृपा एवं यदि उक्त सम्पत्ति बन्द पाई जाती है तो अपने अधीनस्थ अधिकारी/कमिश्नर को आदेशित किया जावे कि उक्त सम्पत्ति के ताले तोडकर उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति खसरा नम्बर 720/425, ग्राम बलौदा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं, कुल क्षेत्रफल 990 वर्ग मीटर जिसके उत्तर मे राम सिंह का मकान, दक्षिण मे राम सिंह की खुली भूमि, पूर्व मे राम सिंह की खुली भूमि व पश्चिम मे सीसी रोड है का पजेशन प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं